न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 32/2014

(आर सी एम एस नम्बर:– 2014/00005)

उनवान प्रकरण

लक्खो पुत्र उदयसिंह उम्र करीब 60 वर्ष जाति लोधा निवासी रेलवे फाटक के पास, मांगरोल रोड मंनिया तहसील व जिला धौलपुर ....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील मंनिया तहसील धौलपुर
2–परसोत्तम पुत्र छोटेलाल उर्फ गोरेलाल जाति वैश्य निवासी मंनिया तहसील धौलपुर
3–मेवाराम पुत्र गोधनसिंह जाति लोधा " **दौराने अपील मृत**"
3/1–मुस. नारायनी पत्नी स्व. मेवाराम । समस्त जातिगण लोधा
3/2–रामेश्वर । ।
3/3–देवो । पुत्रगण स्व0 मेवाराम । समस्त निवासीगण ग्राम मंनिया
3/4–भूरीसिंह । । तहसील व जिला धौलपुर
4–रोशनलाल । पुत्रगण गोधनलाल जातिगण लोधा
5–बावूलाल । निवासीगण ग्राम मंनिया तहसील व जिला धौलपुर
6–मुस. चन्द्रवती पत्नी कीरतराम जाति लोधा निवासी ग्राम मंनिया तहसील धौलपुर
7–रघुवीर पुत्र हरीसिंह । जातिगण लोधा, निवासीगण ग्राम मंनिया
8–ज्ञानसिंह पुत्र हरीसिंह । तहसील व जिला धौलपुर ....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 3069 आदेश दिनांक 25.10.2012 बॉके ग्राम मंनिया द्वारा नायव तहसीलदार मंनिया

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अशोक सक्सैना एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 3लगा05,7,8की ओर से :–श्री राधेश्याम सिकरवार एडवोकेट
रेस्पो0सं0 6, 3/1लगा0 3/4 की ओर से :–श्री शीतलप्रसाद जैन एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 20.09.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 1389 रकवा 2 वीघा बांके ग्राम मंनिया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी का 1/3 भाग हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

विलेख कैलाशचन्द पुत्र शंकरलाल जाति वैश्य से दिनांक 7.6.1990 को कय करके कब्जा व आधिपत्य प्राप्त किया था तभी से अपीलान्ट उक्त आराजी क 1/3 हिस्से पर अन्य शह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। इस खसरा नम्बर 1389 की शह खातेदार काश्तकार रेसपोडेन्ट संख्या-6 चन्द्रवती पत्नी कीरतराम ने आ0ख0नं0 1389 रकवा 2 वीघा एवं 1399 रकवा 2 वीधा बांके ग्राम मंनिया के बावत एक बटवारे का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में दिनांक 29.3.2010 को उनवानी चन्द्रवती बनाम मेवाराम के नाम से प्रस्तुत किया जो कि विधिवत सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर के न्यायालय में अन्तरित होकर आया। उक्त प्रकरण दिनांक 24.8.2011 को राजस्व अभिलेख में दर्ज पक्षकारान के हिस्सों के मुताबिक एकपक्षीय प्रारम्भिक डिकी हुआ ततपश्चात कुर्रेजात तलब हुए। उक्त आराजीयात के बावत रेसपोडेन्ट संख्या-1 ने कुर्रे प्रस्ताव उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जिसके मुताबिक उक्त खसरा नम्बर 1389 का नया नम्बर 1389/2 रकवा 15 विस्वा कायम कर अपीलान्ट का 13/15 हिस्सा एवं रैस्पो0 संख्या-2 2/15 हिस्सा कायम कर तदनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 5.12.2012 को उक्त प्रकरण एक पक्षीय अन्तिम डिकी कर दिया। उक्त निर्णय व डिकी की पालना में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त न्यायालय ने रेस्पो0संख्या-1 को डिकी की पालना हेतु परवाना जारी किया गया जिस पर कि रैस्पोडेन्ट संख्या-1 ने नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 25.10.2012 तस्दीक किया उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या-2 के लिये जो नया खसरा नम्बर 1389/2 रकवा 15 विस्वा कायम किया उसमें कुर्रेजात के अनुसार जो अंतिम डिकी पारित की गयी उस अनुसार अपीलान्ट का 13/15 हिस्सा एवं रैस्पोडेन्ट संख्या-2 का 2/15 हिस्सा था और उसी अनुरूप ही नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज करने चाहिऐ थे लेकिन रैस्पोडेन्ट संख्या-1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या-2 से साज करते हुए उक्त आराजी में व हिस्सा बराबर-बराबर का राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज कर उक्त नामान्तकरण को तस्दीक कर दिया जो कि कानूनन गलत है जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित किया है जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है कि आक्षेपित नामान्तकरण संख्या 3069 आदेश तारीखी 25.10.2012 विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत है जो काबिल खारिजी के है। विद्वान नायव तहसीलदार मंनिया ने अपीलान्ट के हितो पर कुठाराधात करते हुये उसे 13 विस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार होने के वावजूद मात्र 7.5 साढे सात विस्वा आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख कर आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। आक्षेपित नामान्तकरण आदेश व इसके अधीन हुए इन्द्रांज का ज्ञान अपीलान्ट को सर्व प्रथम दिनांक 9.7.2014 को हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुआ। अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी प्रा0पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम प्रथक से प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3069 दि0 25.10.2012 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा पारित डिकी में मंगाये गये कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 684 सम्बत 2069 से 2072, नकल दावा चन्द्रवती बनाम मेवाराम वगैरा मु0सं0 100/10 न्यायालय ए.सी.एम.धौलपुर, नकल निर्णय दिनांक 5.12.2011 उनवानी चन्द्रवती बनाम मेवाराम न्यायालय ए.सी.एम.धौलपुर, नकल डिक्री दिनांक 28.12.2011 उनवानी चन्द्रवती बनाम मेवाराम न्यायालय ए.सी.एम.धौलपुर, नकल बटवारा कुर्रेजात मय प्रा0प्रा0 ग्राम मंनिया तारीखी 3.11.2011, नकल प्रारम्भिक डिक्री तारीखी 24.8.2011 प्रकरण संख्या 100/10 द्वारा न्यायालय ए.सी.एम. धौलपुर, नकल नामान्तकरण संख्या 3069 ग्राम मंनिया तारीखी 25.10.2011 फोटो प्रति बयनामा तारीखी 6.7.1990 वहक लक्खो पुत्र उदयसिंह ग्राम मंनिया तहसील धौलपुर पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 लगा05, 7 व 8 की ओर से श्री राधेश्याम सिकरवार एडवोकेट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 6 व 3/1 लगा0 3/4 की ओर से श्री शीतलप्रसाद जैन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी का 1/3 भाग हिस्सा जरिये पंजीकृत विकय विलेख कैलाशचन्द पुत्र शंकरलाल जाति वैश्य से दिनांक 7.6.1990 को कय किया था। खसरा नम्बर 1389 की सह खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट संख्या–6 चन्द्रवती ने आ0ख0न0 1389 रकवा 2 वीधा एवं 1399 रकवा 2 वीधा बांके ग्राम मंनिया के बावत एक वटवारे का दावा उनवानी चन्द्रवती बनाम मेवाराम के नाम से प्रस्तुत किया जो न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा दिनांक 24.8.2011 को राजस्व अभिलेख में दर्ज पक्षकारान के हिस्सों के मुताबिक प्रारम्भिक डिकी हुआ तथा कुर्रेजात तलब हुए। उक्त आराजीयात के बावत रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने कुर्रे प्रस्ताव उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जिसके मुताविक खसरा नम्बर 1389 का नया नम्बर 1389/2 रकवा 15 विस्वा कायम कर अपीलान्ट का 13/15 हिस्सा एवं रैस्पो0 संख्या–2 2/15 हिस्सा कायम कर तदनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 5.12.2012 को उक्त प्रकरण अन्तिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिकी की पालना में रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 25.10.2012 तस्दीक किया उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या–2 के लिये जो नया खसरा नम्बर 1389/2 रकवा 15 विस्वा कायम किया उसमें कुर्रेजात के अनुसार जो अंतिम डिकी पारित की गयी उस अनुसार अपीलान्ट का 13/15 हिस्सा एवं रैस्पोडेन्ट संख्या–2 का 2/15 हिस्सा था और उसी अनुरुप ही नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज करने चाहिऐ थे लेकिन रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या–2 से साज करते हुए उक्त आराजी में व हिस्सा बराबर–बराबर का राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज कर उक्त नामान्तकरण को तस्दीक कर दिया जो कि कानूनन गलत है। आक्षेपित नामान्तकरण विधि विरुद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत है। नायव तहसीलदार मंनिया ने अपीलान्ट के हितो

अति० जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

पर कुठाराधात करते हुये उसे 13 विस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार होने के वावजूद मात्र 7.5 साढे सात विस्वा आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख कर आक्षेपित नामान्तकरण तस्दीक किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा पारित डिक्री में मंगाये गये कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील का कोई विरोध नहीं किया और ना ही रेस्पोडेन्ट की ओर से विरोघ में कोई दस्तावेज पेश किये। दौराने वहस कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। आ0ख0न0 1389 एवं 1399 बांके ग्राम मंनिया के बावत वटवारे का दावा मुकद्वमा नम्बर 100/2010 उनवानी चन्द्रवती बनाम मेवाराम वगैरा न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा दिनांक 24.8.2011 को राजस्व अभिलेख में दर्ज पक्षकारान के हिस्सों के मुताबिक प्रारम्भिक डिक्री हुआ तथा कुर्रेजात प्रस्ताव तलब हुए। उक्त आराजीयात के बावत रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने कुर्रेजात प्रस्ताव उक्त न्यायालय में प्रस्तुत किये जिसके मुताविक उक्त खसरा नम्बर 1389 का नया नम्बर 1389/2 रकवा 15 विस्वा कायम कर अपीलान्ट का 13/15 हिस्सा एवं रैस्पो0 संख्या–2 का 2/15 हिस्सा कायम कर तदनुसार कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 5.12.2012 को उक्त प्रकरण अन्तिम डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 25.10.2012 तस्दीक किया उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या–2 के लिये जो नया खसरा नम्बर 1389/2 रकवा 15 विस्वा कायम किया उसमें कुर्रेजात के अनुसार जो अंतिम डिक्री पारित की गयी उस अनुसार अपीलान्ट का 13/15 हिस्सा एवं रैस्पोडेन्ट संख्या–2 का 2/15 हिस्सा था और उसी अनुरूप ही नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज करने चाहिऐ थे लेकिन रैस्पोडेन्ट संख्या–1 ने उक्त आराजी में व हिस्सा बराबर–बराबर का राजस्व अभिलेख में इन्द्रांज कर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरीत है। औलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 3069 दिनांक 25.10.2012 ग्राम मंनिया निरस्त किया जाता है तथा नायव तहसीलदार मंनिया को निर्देशित किया जाता है कि वह विधि अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

100/2010 उनवानी चन्द्रवती बनाम मेवाराम वगैरा में पारित प्रारम्भिक डिकी दिनांक 24.8.2011 एवं अंतिम डिकी दिनांक 5.12.2011 में मंगाये गये कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायव तहसीलदार मनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner